

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिलाभिण्ड

मध्यप्रदेश

पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 703 /2012

संस्थापित दिनांक 06.09.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0.

..... अभियोजन

बनाम

1. बेताल पुत्र मेवाराम बघेल उम्र—30साल
2. राजबहादुर उर्फ बहादुर पुत्र मेवाराम बघेल
उम्र—35साल
3. अरविन्द्र पुत्र शिवदीन बघेल उम्र—35साल
4. सियाराम पुत्र सबदीन बघेल उम्र—40साल
समस्त व्यवसाय खेती निवासीगण झावलपुरा
जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 16 /7 /2013 को घोषित किया)

1. आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294,324 / 34 के अपराध के आरोप है कि दिनांक 09 /08 /2012 के 10.00 बजे ग्राम चक झावलपुरा मे फरियादी को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व उपस्थित जनसमूह को क्षोभ कारित किया व फरियादी राजेन्द्र की सामान्य आशय के अग्रशरण में धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि विचारण के दौरान फरियादी व आहत का आरोपी से आपसी राजीनामा हो गया है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी राजेन्द्र ने पुलिस थाना गोहद को दिनांक 09 /08 /12 को उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट की कि वह अपनी माँ का इलाज राकर अपने गाव आ रहा था कि गांव के बेताल सिंह, राजबहादुर सिंह, सियाराम बघेल, अरविन्द्र बघेल, मिले उसे गाली गलोज करने लगे उसने गाली देने से मना किया तो

राजबहादुर ने लाठी मारी जो दाहिने हाथ में लगी खून निकल आया दूसरी लाठी अरविन्द्रने मारी सिर में लगी खून निकल आया तीसरी लाठी बेताल ने मारी पैर में लगी सियाराम ने उसे पटक लिया वह चिल्लाया तो उसे भूरे सिंह, रामगोपाल बघेल उसे बचाने आ गये।

4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद द्वारा मर्ग क्रमांक 160/12 पंजीबद्ध कर जांच उपरान्त अप0क्र0 177/12 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं फरियादी का मेडीकल परीक्षण कराया गया एवं संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294, 324/34 के आरोपो की विवेचना की गई आरोपीगण ने उक्त आरोपो को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय से चाहा।

6. प्रकरण में फरियादी द्वारा आरोपीगण से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को भा0द0वि0 की धारा 294, के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया गया जबकि शेष धारा 324/34 शमन योग्य न होने के कारण विचारण किया जा रहा है।

7. प्रकरण में प्रमुख अवधारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने फरियादी राजेन्द्र की धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की?

सकारण निष्कर्ष

8. राजेन्द्र आ0सा01 के द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है इस साक्षी का कहना है कि करीब डेढ़ साल पहले वह अपनी माँ का इलाज कराकर चक झावलपुरा जा रहा था कठवा हाजी के पास बेताल सिंह, बहादुर, सियाराम, अरविन्द्र ने रोककर उसे गाली गलोज करने लगे जब उसने मना किया कि गाली गलोज नहीं करो तो आरोपीगण ने उसकी मारपीट की थी तो गांव के भूरे सिंह, व रामगोपाल आ गये जिन्होंने उसका बीच बचाव कराया पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया था। साक्षी के द्वारा किसी घातक अथवा धारदार हथियार से चोट पहुँचाये जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य से स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपीगण ने किसी घातक अथवा धारदार हथियार से चोट पहुँचाई थी साक्षी के कथनों से मेडीकल रिपोर्ट का समर्थन नहीं होता है।

9. प्रकरण में फरियादी व आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है जिससे विदित होता है कि फरियादी राजेन्द्र आ0सा01 ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालयीन अभिलेख पर कथन दिये हैं उक्त साक्षी के कथनों से किसी धारदार अथवा घातक हथियार से मारने की घटना प्रमाणित नहीं होती है।

10. प्रकरण में मामले को प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर था लेकिन अभियोजन साक्षी राजेन्द्र द्वारा अपने परीक्षण के दौरान धारदार हथियार से चोट पहुँचाये जाने से इंकार किया है। फरियादी के कथनों से धारदार हथियार की घटना प्रमाणित नहीं होती है। प्रकरण में अन्य कोई साक्षी नहीं है। फरियादी कथनों से धारदार हथियार की घटना पूर्णतः अप्रमाणित पाई गई।

11. प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य पूर्णतः अप्रमाणित है कि आरोपीगण ने फरियादी राजेन्द्र को किसी धारदार हथियार से चोट पहुँचाकर उपहति कारित की हो इसलिये भा.द.वि.की धारा 324 के अपराध पूर्णतः अप्रमाणित अवस्था में विद्यमान है।

12. प्रकरण में आरोपीगण के आरोपित आरोप भा.द.वि. की धारा 324 पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये शेष अपराधों में आपसी राजीनामा किया जा चुका है अतः आरोपीगण को भा.द.वि.की धारा 324 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है उनके जमानत मुचलके भारहीन होने से उनमोचित किये जाते हैं।

13. प्रकरण में निराकरण हेतु मुददेमाल नहीं है।

14. प्रकरण में धारा 428 द0प्र0स0 के तहत प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

15. प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील या याचिका दायर की जाती है तो आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष उप0रहे इस संबंध में धारा 437ए द0प्र0स0 के तहत 10 हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता/सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद

हस्ता/सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद

4 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 703 / 2012